

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +3209
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

प्रसाद योजना के तहत पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थल

+3209. श्री सौमित्र खान:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रसाद योजना के तहत पश्चिम बंगाल के विभिन्न पर्यटन स्थलों को शामिल किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार विष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर रही है;
- (घ) क्या सरकार द्वारा प्रसाद योजना में नए घटकों को शामिल किए जाने की संभावना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ हो सकता है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): पर्यटन का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में जारी अपनी 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद) योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत प्रस्तावों की प्रस्तुति और परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है जो निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन, चल रही परियोजनाओं के निष्पादन और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि के अध्यधीन है। उपरोक्त के आधार पर प्रशाद योजना के अंतर्गत विकास हेतु पश्चिम बंगाल में "बेलूर मठ के विकास" को शामिल किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय को प्रशाद योजना के तहत पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से विष्णुपुर में धार्मिक स्थलों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।
